web copy

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी : राजपाल सिंह, आर.ए.एस.

निगरानी संख्या–2016/00097 दायर दिनांक 12/20/2016

1 परमाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी पनपालिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू **निगरानीदार**

बनाम

1 विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति तहसील सरदारशहर
2 सरपंच ग्राम पंचायत अड़सीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3 गोपालदास खोलायत पुत्र रामचन्द्र दास जाति स्वामी निवासी पनपालिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू **गैरनिगरानीदारन**

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 09/02/2015 पंचायत समिति सरदाशहर की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10/12/2014 में पारित निर्णय के आधार पर जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 01/10/2004 खारिज करने हेतु अन्तर्गत राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97

उपस्थित– 1. श्री ललित गौतम, एडवोकेट निगरानीदार
2. श्री पतराम जाखड़, एडवोकेट वास्ते गैर निगरानीदार सं. 3

निर्णय दिनांकः 27.06.2017

यह निगरानी माननीय न्यायालय जिला कलक्टर चूरू के यहां से सुनवाई एवं निस्तारण हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 20.12.2017 को ऑनलाईन दर्ज रजिस्टर की गई। प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

1. पंचायत समिति सरदारशहर की प्रशासन स्थाई सिमिति की बैठक दिनांक 10/12/2014 में लिये गये प्रस्ताव सं. 3–5 तथा इसके आधार पर पारित किया गया आदेश दिनांक 09/02/2015 जिसके तहत निगरानीदार के नाम से ग्राम पंचायत अड़सीसर के संरपच द्वारा जारी पट्टा संख्या 29 दरगज 313–1/3 दिनांक 01/10/2004 को खारी किया है यह आदेश बिल्कुल गलत अवैध व अनुचित आधारों पर पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।
2. आदेश जैर निगरानी दिनांक 09/02/2015 को पारित करने से पहले पंचायत समिति सरदारशहर की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा जारी करेन के संबंधित दस्तावेजात का सही कानूनी रूप से विवेचन व अवलोकन नहीं किया है जिस कारण आदेश दिनांक 09/02/2015 अवैध है तथा काबिले अपास्त के है।
3. जैर निगरानी पारित करने से पहले निगरानीदार को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया ना कोई नोटिस दिया ना नोटिस की तामिले करवाई केवल गोपालदास का पक्ष लेकर राजनैतिक कारणों से पट्टा दिनांक 01/10/2004 बहक निगरानीदार खारीज कर दिया जो आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. मौका निरीक्षण कमेटी के द्वारा मौका पर जाकर कोई मौका नहीं देखा गया ना कोई नक्शा बनाया गया ना ही नाप जोख किया गया केवल रिपोर्ट में यह लिख दिया कि परमाराम के घर के आगे की गुवाड़ सार्वजनिक गली की है दिनांक 08/12/2014 को मौके देखने की कोई सूचना निगरानीदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

web copy

को नहीं दी ना ही ग्राम पंचायत अड़सीसर के सरपंच को कोई सूचना पत्र भिजवाया ऐसी स्थिति में कार्यवाही अधुरी अनुचित तथा विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने काबिल है।

5. निगरानीदार के पक्ष में जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 01/10/2004 द्वारा ग्राम पंचायत अड़सीसर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही जारी किया गया है जो पट्टा सार्वजनिक रास्ता की भूमि में शामिल करते हुए जारी नही किया गया है गोपालदास का पट्टा निगरानीदार के पट्ट के पश्चिम तरफ स्थित है पट्टा सं. 29 के उत्तर में आम रास्ता स्थित है जो चालु है इस पट्टे को आम रास्ता में जारी नहीं किया गया है ना मौका रिपोर्ट के साथ नक्शा व माप दर्शाया गया है इसलिए जो आदेश दिनांक 09/02/2015 को पारित किया गया है वह केवल राजनैतिक तौर पर अधुरी कार्यवाही के आधार पर आनन फानन में पारित किया गया है इस कारण अपास्त किये जाने काबिल है।

6. निगरानीदार के नाम से जारीशुदा पट्टा दिनांक 01/01/2014 का है, जिसको निरस्त करने की अपील दिनांक 21/07/2014 को पेश की गई तथा जिसके साथ मियाद का प्रार्थना पत्र पेश किया गया इसके बारे में कोई मियाद माफी का आदेश पारित नहीं किया है अपील मियाद बाहर पेश हुई जिसको मियाद में मानने का कोई बोलता आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिए आदेश विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने काबिल है।

7. पत्रावली पर कोई साक्ष्य सबुत नहीं लिया गया है बिना साक्ष्य सबुतो के पारित किया गया आदेश निरस्त किये जाने काबिल है।

अतः निगरानीदार की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन है कि यह निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति सरदारशहर की स्थापना व स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10/12/2014 में पारित निर्णय/प्रस्ताव सं. 3–5 के आधार पर पारित आदेश दिनांक 09/05/2015 बाबत खारीज करने पट्टा संख्या 29 दिनांक 01/10/2014 बहक निगरानीदार उक्त आदेश निगरानी को अपास्त किया जाये तथा निगरानीदार उक्त आदेश निगरानी को अपास्त किया जाये तथा निगरानीदार के हक में जारी ग्राम अड़सीसर के द्वारा पट्टा सख्या 29 दिनांक 01/10/2014 माप 313 1/3 दरगज को बहाल रखा जावे।

निगरानीदार के निगरानी के साथ कार्यालय पंचायत समिति सरदारशहर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 09/02/2015 की प्रति संलग्न की। गैरनिगरानीदारान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर की पत्रावली गोपालदास पुत्र रामचन्द्र ग्राम पनपालिया एवं ग्राम पचांयत पट्टा बही संख्या 2 से 50 प्राप्त होने पर शामिल मिशल की गई। गैर निगरानीदार संख्या 3 की तरफ से श्री पतराम जाखड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा दिनांक 22/07/2015 को पेश किया।

निगरानीदार के योग्य अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कहा कि निगरानीदार को पट्टा संख्या 29 दिनांक 01/10/2004 को जारी किया गया था जिसके संबंध में गैरनिगरानीदारन ने 10 वर्ष बाद 21/07/2014 को पंचायत समिति सरदारशहर में पेश की जो अन्दर मियाद नही थी। उसके उपरान्त भी विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर ने निगरानीदार को नोटिस दिये बिना, बिना तामिल के ही आदेश पारित कर दिया जो कानुनन अवैध है। अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर द्वारा जारी आदेश दिनांक 10/12/2014 निरस्त कर निगरानीदार की निगरानी स्वीकार की जावे।

गैर निगरानीदार के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि निगरानीदार द्वारा उक्त पट्टे की आड़ में सार्वजनिक चौक की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जिसका ग्राम पंचायत अड़सीसर तहसील सरदारशहर की रिपोर्ट दिनांक 20/08/2016 का अंकन है तथा इस कब्जे सार्वजनिक चौक में बिजली का पोल भी अंद लिया है जो मौके पर मौजुद है अतः निगरानीदार की निगरानी खारिज की जावे।

निगरानी में उपलब्ध पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया तथा निगरानीदार एवं गैरनिगरानीदारान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। निगरानीदार के अधिवक्ता का यह कथन कि कथन कि निगरानीदार श्री परमाराम जाट को जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 01/10/2014 को अधिनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष बाद अपील पेश की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीदार को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना नोटिस तामिल के ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए निगरानीदार को जारी पट्टा निरस्त कर दिया गया जो कि हमारी नजर में सही

21/11

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

web copy

नहीं है तथा निगरानीदार को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः निगरानीदार की निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जानी उचित है।

उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा पंचायत समिति सरदारशहर की प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक में लिये गये प्रस्ताव संख्या 3–5 दिनांक 10/12/2014 व कार्यालय आदेश दिनांक 09/02/2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनवाया ।

अति. जिला कलक्टर,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू